

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 199]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 12, 1972/चैत्र 23, 1894

No. 199]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 12, 1972 CHAITRA 23, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CUSTOMS

New Delhi, the 12th April 1972

S.O. 285(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts jewellery in personal use or for personal use from so much of the duty of customs leviable thereon under the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934) as is in excess of 50 per cent when imported into India by any person of Indian origin who has been normally resident in Uganda, Kenya, Zambia, Tanzania, Malawi or the Peoples Republic of Southern Yemen from a date earlier than 1964.

[No. 58/F. No. 555/99/71-LCI.]

M. G. ABROL, Jt. Secy.

द्वितीय मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 1972

का० आ० 28 5(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962(1962 का 52)की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, ऐसे आभूषण को जो व्यक्तिगत प्रयोग में है या व्यक्तिगत प्रयोग के लिए है, भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934(1934 का 32) की प्रथम अनुसूची के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उतने सीमा-शुल्क से जब उसका भारतीय मूल के किसी व्यक्ति द्वारा, जो 1964 से पूर्वतर तारीख से युगांडा, कैन्या, जाम्बिया, तंजानिया, मलावी या पीपुल्स रिपब्लिक, आफ सदर्न यमन का प्रसामान्यतः निवासी रहा हो, भारत में आयात किया गया हो उसद्वारा छूट देती है जितना पचास प्रतिशत से अधिक हो ।

[सं० 58/का० सं० 555/99/71-एल० सी० I]

मदन गोपाल अग्रवाल, संयुक्त सचिव ।